


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2013/ज्येष्ठ 22, 1935

No. 1339]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2013/JYAISTHA 22, 1935

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2013

का.आ. 1521(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ दोवां संशोधन नियम, 2013 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—
 - (क) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,—
 - (i) "क. विधि कार्य विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 14 का लोप किया जाएगा;
 - (ii) "ग. न्याय विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- "11. निर्धनों के लिए विधिक सहायता ।
 12. न्याय प्रशासन ।
 13. न्याय तक पहुंच, न्याय का परिदान और विधिक सुधार ।"

प्रणब मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/22/1/2013 -मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

**CABINET SECRETARIAT
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th June, 2013

S.O. 1521(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Second Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—

(a) under the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (VIDHI KARYA VIBHAG)", entry 14 shall be omitted;

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)", after entry 10, the following entries shall be inserted, namely :—

"11. Legal aid to the poor.

12. Administration of Justice.

13. Access to Justice, Justice Delivery and Legal Reforms."

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/22/1/2013-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director